रा. रि. क्र /15

मौजा बदनूरढाना बैतूल

नि/3236/VD/10/15

दिनांक 1-10-15 को ... हेतु ...

Fee 1-10-15 50

बाबूलाल पिता स्व नान्हूराम शर्मा, उम्र 59 वर्ष
जाति ब्राम्हण, पेशा नौकरी, नि. विनोवा नगर
भग्गूढाना गंज बैतूल तह. जिला बैतूल म. प्र.
हाल मु. मुरलीपुरा स्कीम डी-204,205
जयपुर राजस्थान

—आवेदक/रिवीजनकर्ता

वि0

1-प्रदीप कुमार पिता स्व. एन. कुमार तिवारी
उम्र 47 वर्ष,

2-दिलीप कुमार पिता स्व एन. कुमार तिवारी
उम्र 45 वर्ष

दोनो जाति ब्राम्हण, नि. राजेन्द्र वार्ड गंज
बैतूल थाना तह. जिला बैतूल म. प्र.

-अना/गैर रिवीजनकर्तागण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू रा. संहिता 1959

माननीय न्यायालय तहसीलदार बैतूल के राजस्व प्रकरणक्रमांक 1255 अ/06/12-13, मौजा बदनूरढाना बैतूल म. प्र. पक्षकार बाबूलाल शर्मा वि0 प्रदीप एवं दिलीप तिवारी मामला नामांतरण प्रकरण में आदेश दिनांक 25.08.15 से व्यथित होकर यह रिवीजन समय सीमा में प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3236–पीबीआर/2015 **जिला बैतूल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–10–2015	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0सक्सैना उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–8–2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है । प्रकरण का अवलोकन किया गया व अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया है, जो उचित नहीं है । न्यायहित में आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया जाये । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	